DOI: 10.51220/hjssh.v7i1.9

Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol- 7 pp.59 -65, December, 2012, ISSN. 0975 - 9891

उत्तराखण्ड में शिवालिक क्षेत्र के ''राजाजी नेशनल पार्क'' में रहने वाली ''गुजर जनजाति'' का सामाजिक अध्ययन

अजय पाल सिंह नेगी
मानव विज्ञान विभाग
हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Received: 07-09-2012 **Revised: 19-09-2012** **Accepted: 12-11-2012**

Abstract

प्रस्तुत शोधपत्र में उत्तराखण्ड के शिवालिक क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत रहने वाली गुजर जनजाति का सामाजिक एवं सास्कृतिक परिवेश वर्णित है।

Key-words: शिवालिक क्षेत्र, गुजर जनजाति, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परिवेश।

भारत के भू-भाग में विभिन्न जनजातियाँ अनेक क्षेत्रों में रहती है। अलग-अलग भौगोलिक आधार पर वहाँ की जलवायु के साथ अपना जीवन सम्मोहित करती हैं। जिसमें कुछ जनजातियाँ स्थायी रूप से रहती है। व कुछ साल में छः-छः महीने के अन्तर्गत अपना स्थान बदलती रहती हैं। जिनको ''मानवशास्त्रीय'' परिप्रेक्ष्य में 'खानाबदोश' व 'घुमन्तु' जनजाति कहते हैं। उनमें से गुजर जनजाति प्रमुख है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से एक समुदाय के रूप में इनका उद्गम हुआ जो कि हिमालय के बुग्यालों पर खेती करते थे व अपने पशुओं के साथ इधर-उधर घूमा करते थे, जो मध्य एशिया का एक भू-भाग था। धीरे-धीरे ये काफी बड़ी जनसंख्या में इधर-उधर के क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करने लगे।

दूसरा मत है कि-भारत में पश्चिमी भाग राजस्थान, मालवा, गुजरात से वे इधर-उधर फैले व खानाबदोश की जिन्दगी के स्वरूप रहने लगे 'गुजरात' में रहने के कारण से वे गुजर कहलाने लगे।

तीसरा मत है कि-हिमालय क्षेत्र अफगानिस्तान से वे भारत में जम्मू-कश्मीर की पहाड़ियों पर आकर रहने लगे व उसके बाद वे इधर-उधर फैले जैसे-हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में व वहाँ के मैदानी (तराई) क्षेत्र में उसके बाद उनका आगमन उ0प्र0 की पहाड़ियों में हुवा जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड क्षेत्र में है। देश आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1961 ई0 में इनको यहाँ पर वन अधिकारियों द्वारा स्थान दिलवाकर बसाया इनके पुर्नवास का पूरा अधिकार वन अधिकारियों को दिया गया।[1,2]

इनको तत्कालीन सरकारों ने भी घुमन्तु जनजाति घोषित किया इनकी इस जीवन परम्परा के अनुसार उनको यहाँ पर बसाया गया। सरकारी स्थान जंगलों में दिये गये सरकार ने अपनी नीति बनाकर इनसे कुछ टैक्स लगाकर जो इनकी भैंसों के आंकलन से होता है। चारा पत्तियों के लिये इनको अलग-अलग जगह पर स्थान दिये। जो वीट के नाम से जाने जाते हैं वीट के अनुसार नम्बरदार भी है जो इनका नेतृत्व करते हैं। अब सरकार इनको व्यवस्थित स्थान देने पर भी प्रयास कर रही है।[3]

वर्तमान में गोहरी, कुनाऊ, मोहंड, रायवाला, मोतीचूर, कांसरों, पथरी, बीबीवाला, गौडींखाता, चिडियांपुर क्षेत्र में गुजर जाति के लोग रहते हैं। ये लोग 6 महीने का प्रवास हिमालय के बुग्याल क्षेत्रों में करते हैं। जो कि जिला टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली व हिमाचल प्रदेश के सीमाओं में स्थित हैं। यहाँ पर बराबर इनका आना जाना लगा रहता है।

सामाजिक अध्ययन

शिवालिक हिमालय में विकासखण्ड यमकेश्वर के गोहरी क्षेत्र व चीला क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गुजरों का भी मुख्य कार्य पशुपालन तथा कुछ हद तक कृषि है तथा उनका अपना एक सामाजिक संगठन है। इस संगठन में वे रहकर जीवन यापन करते हैं जिसकी एक परिधि है।

परिवार-इनमें एकाकी व संयुक्त दोनों परिवारों की प्रथा है लेकिन सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार की तुलना में अधिक हैं इसका एक कारण यह भी है कि इनके पास सीमित संसाधन हैं इनकी मुख्य आय का स्रोत भैसें हैं।

एकाकी परिवार-ये लोग एक ही छत के नीचे एंकाकी परिवार के रूप में रहते हैं तथा उन्हें खुशी-खुशी से अलग भी कर दिया जाता है लेकिन ऐसे उदाहरण कम ही हैं क्योंकि परिवार से अलग होने की दशा में सभी भाइयों को बराबर हिस्सा कर (कपड़ा, बर्तन, घर के सम्पूर्ण सामान एवं आय के स्रोत भैसें) बंटवारा किया जाता है तथा इनमें से एक हिस्सा माता-पिता का होता है तथा वह हिस्सा उसी लड़के का होता है जो कि माता-पिता की जीवन पर्यन्त सेवा करता रहता है तथा इस पर अन्य भाइयों को आपत्ति का अधिकार भी नही होता है।

संयुक्त परिवार-गुजरों में अधिकांश परिवार संयुक्त होते हैं समूह में रहकर ये खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लगभग 85 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है (यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों उनमें निकट का रिश्ता हो एक स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों तो उन्हें सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है।)

विवाह के प्रकार

गुजर समुदाय में विभिन्न प्रकार के विवाह देखे जाते हैं जो निम्नलिखित है-

(i) **क्रय विवाह**-इस विवाह में लड़की वालों को पैसा दिया जाता है, जिसे की ये लोग वधू मूल्य कहते हैं।

(i) **विनिमय विवाह**-इस विवाह में दो परिवार आपस में जिस घर से बहु लाते हैं, उसी घर में लड़की देते हैं, इनमें यह विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है।

(iii) **सेवा विवाह**-इस विवाह में लड़का लड़की के घर कुछ समय रहकर लड़की के माँ, बाप की सेवा करता है। अगर इनका विवाह, अनुकूल हुआ तो शादी होती है।

(iv) **हरण विवाह**-इस विवाह में लड़का लड़की को भगा ले जाता है, लेकिन यदि पकड़े गये तो लड़के को साठ हजार रूपये जुर्माना देना पड़ता है। वर्तमान में एक लाख तक का जुर्माना पड़ता है।

(v) **बाल विवाह**-यहां पर बाल विवाह काफी प्रचलित है, बचपन में ही लड़का लड़की का विवाह करवा दिया जाता है, परन्तु लड़की अपने ससुराल में सोलह-सत्रह साल की उम्र में ही जाती है, जिसे गौना कहते हैं।

(vi) **बहुपत्नी विवाह**-यहाँ पर एक पुरूष एक से अधिक विवाह कर सकता है, जिसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। पुरूष के लिए सात विवाह करने की छूट है।

(vii) **पति भ्राता विवाह अथवा देवर विवाह**-इस प्रकार का विवाह भी गुजरों में देखा गया है जब स्त्री अपने देवर अथवा जेठ से विवाह करती है यह स्थिति तब आती है जब स्त्री का पति मर जाता है जब स्त्री के बच्चे हो तो सबसे पहले उसका विवाह परिवार में ही कराया जाता है जैसे-देवर अथवा जेठ से अन्यथा किसी अन्य पुरूष से भी उसका विवाह हो जाता है।

(viii) **विधवा विवाह**-यह विवाह भी गुजरों में अत्यधिक प्रचलित है विधवा विवाह तब कराया जाता है जब विधवा स्त्री कम ही उम्र की विधवा हो गयी हो विधवा महिला का दूसरा विवाह चार महीने या दस महीने बाद होता है इसे ईदत कहते हैं विधवा का विवाह करने से पूर्व उसे चालीस दिन तक परिवार से अलग रखकर कुछ नियम करवाते हैं।

(xi) **साली विवाह**-गुजर समुदाय में यह विवाह बहुत कम पाया जाता है क्योंकि ये लोग जीजा साली में परिहार सम्बन्ध मानते हैं। परन्तु आजकल धीरे-धीरे परिवर्तन होने के कारण इनमें साली विवाह का भी प्रचलन देखा जाता है। यह विवाह तब सम्भव है जब किसी पुरूष की पत्नी मर गई हो और उसके बच्चे बहुत छोटे-छोटे हों तब परायी स्त्री लाने के बजाय ऐसा हल ढूंढा जाता है कि जो उन बच्चों की देखभाल उनकी माँ के समान करे तो माँ की बहन अर्थात साली से विवाह की स्थिति बन जाती है इस विवाह में कुछ रकम लड़की के घर वालों को लड़के पक्ष द्वारा दे दी जाती है।

(x) **प्रेम विवाह**-प्रेम विवाह का भी धीरे-धीरे गुजर समुदाय में प्रचलन देखा गया है इस विवाह में लड़का लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं तथा कुछ समय पश्चात वापस आ जाते हैं लड़के वालों को लड़की को भगाकर विवाह करने का मूल्य चुकाना पड़ता है। यह फैसला पंचायत का होता है कि कितनी रकम लड़के वालों को देनी पड़ेगी। आशिक अली तथा जमीला बीबी ने भागकर विवाह किया जो वहाँ पर चिन्हित पाया गया।

वस्त्र एवं खान-पान

वस्त्र-गुजर जनजाति के वस्त्रों में कश्मीरी एवं मुस्लिम झलक दिखती है हमेशा जंगल में व हिमालय में रहने के कारण इन लोगों को ठण्ड कम महसूस होती है इसलिए ये ज्यादा भारी कपड़ों को प्राथमिकता भी नहीं देते हैं।

इनकी स्त्रियां लम्बा कुर्ता, सलवार, चुनरी एवं शाल पहनती हैं एवं पुरूष कुर्ता, तहमत, पगड़ी, गुजरी टोपी चेकदार लाल व सफेद रंग का कम्बल ओढ़े रहते हैं। परिवार का मुखिया गुजरी दस्तरवन्द पहनते हैं। आभूषणों में स्त्रियों में चांदी की अधिकता रहती है।

खान-पान-मुख्यतया ये भोजन में रोटी, दही, मक्खन, लस्सी, सब्जी का सेवन करते हैं। चावल रोटी की तुलना में कम प्रयोग में लाते हैं।

गर्मियों का खान-पान-रोटी, चावल, दाल, लस्सी, दही, हैड़ की सब्जी।

सर्दियों का खान-पान-गेंहू एवं मक्के की रोटी, चावल, सब्जियों में हैड़ा, लिंगुड़ा।

पर्व उत्सवों का खान-पान-चावल की खीर, सेंवई, हलवा, आलू की सब्जी, लड्डू, बकरे एवं मुर्गे का मांस, बूरा, घी, लस्सी, दूध आदि का सेवन करते हैं। खीर का सेवन उत्सवों में करते हैं कभी-कभी दर्द विकार में भी करते है।

शैक्षिक स्थिति

गोहरी रेंज के अन्तर्गत कुनाऊ चौड़, तुन चौड़, सोनी सोत, विंदासनी आदि में उपस्थित गुजरों के डेरे सड़क से काफी दूर जंगल के अन्दर स्थित है। कुछ समय से ही यहाँ के गुजरों ने खाना बदोश जीवन व्यतीत करना कम किया है तथा ये लोग शिक्षा के प्रति इसी कारण उदासीन भी हैं क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के मन्दिर इनके डेरों से काफी दूर एवं इनकी व्यवस्तता के कारण तथा जंगली जानवरों का भय इनकी शिक्षा के आगे बाधक पहलू है। क्योंकि जंगलों के अन्दर शिक्षा के विद्यालय नहीं खोले गये हैं और ना ही सरकार ने इनके प्रति कोई ऐसा रूख दिखाया है जो कि ये शिक्षा के प्रति आकृर्षित हो सके इसके बावजूद इनके समुदाय के कुछ जागरूक व्यक्ति जैसे-कुनाऊ के मुखिया नम्बरदार गुलाम मुस्तफा (मस्तु) के द्वारा एक संस्था चलाई जा रही है जो कि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के रूप में है। जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा चलायी जा रही है। जिसके प्रबन्धक अवधेश कौशल हैं जो कि देहरादून में रहते हैं तथा इस शिक्षा केन्द्र में अनेक पदाधिकारी हैं। अवधेश कौशल की बहु रूची के द्वारा इनकी समस्याओं को समय-समय पर सरकार को अवगत कराया जाता है। गांव के मुखिया नम्बरदार गुलाम मुस्तफा द्वारा गांव के ही एक हबीज मास्टर एवं एक शिक्षिका उनकी पुत्री हुसैन बानों है जो कि कक्षा 8 तक शिक्षित है तथा ये गुजर बच्चों को पढ़ाती है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तथा बालिका शिक्षा का प्रतिशत बहुत की कम है।

नातेदारी-नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सम्बन्ध आ सकते हैं जो कि अनुमानित एवं रक्त सम्बन्धों पर आधारित हों। इसी के आधार पर नातेदारी को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं-

1.विवाह सम्बन्धी नातेदारी-इस प्रकार की नातेदारी में न केवल विवाह सम्बन्ध द्वारा सम्बन्ध पति पत्नी ही आते हैं बल्कि इन दोनों के परिवारों के अन्य सम्बन्धी भी आ जाते हैं। उदाहरणार्थ-विवाह पश्चात् एक पुरूष पति के अलावा बहनोई, दामाद, जीजा, फुफा, नन्दोई, मौसा, साढू आदि भी बनता है। इसी प्रकार स्त्री की पत्नी के अलावा पुत्र वधु, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी, भाभी आदि भी बनती है।

2.रक्त सम्बन्धी नातेदारी-इस प्रकार की नातेदारी के अन्तर्गत वे लोग आते है जो कि समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से सम्बन्धित हों जैसे-कि माता-पिता व उसके बच्चों के बीच या दो भाइयों के बीच, या दो भाई-बहनों के बीच का सम्बन्ध रक्त के आधार पर ही आधारित है।

नातेदारी में सम्बन्धों के भेद

1.समरक्त सम्बन्ध-इस प्रकार के सम्बन्ध भाई-बहन, दादा-दादी, मामा-मामी, नाना-नानी, चाचा-चाची, बुआ, ताऊ आदि में रक्त सम्बन्धी होते है।

2.विवाह सम्बन्ध-इनमें जैसे सास, ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, साली, साढू, फूफा, भाभी, बहू इत्यादि। इनकी नातेदारी शब्दावली इस प्रकार है-

हिन्दी शब्द	गुजरी शब्द
माँ	अम्मा
पिताजी	अब्बा
चाचा	चाचू
चाची	चची
ताऊ	बड्डो
भाई	पाऊ
बहन	बोबो
मामा	मामू
बुआ	फूफू या फूफी
दादा	दादू
मौसी	खाला
सास	ससु अथवा मामी
ससुर	सौरा अथवा मामा
ननद	बीबी
समधी	कुडम
समधन	कुडमुनी
दामाद	जवाई
जीजा	पावो
जेठू	पावो
पति	शोहर अथवा खादिम

नातेदारी के व्यवहार

1.परिहार-ये लोग परिवार के बड़े सदस्य या बाहरी व्यक्ति से पर्दा करते हैं तथा सिर पर चुन्नी और ससुर व पति के बडे भाई (जेठ) से पर्दा करती हैं जबकि सास से पर्दा नहीं करती है।

2.परिहास-ये ज्यादा बोलना एवं समान उम्र वालों से ही ज्यादा बोलने को प्राथमिकता देते है उनसे हंसी मजाक करते हैं। जीजा-साली के परिहास रिश्ते में परिहास प्राय: देखा गया है।

संस्कार

1.नामकरण संस्कार-इस संस्कार में वैसे तो कोई विशेष आयोजन नहीं होता है लेकिन कुछ लोग इस संस्कार हेतु सूक्ष्म आयोजन करते हैं। जिसमें बच्चे की खुशहाली एवं स्वस्थ रहने की कामना की जाती है तथा नाम से पूर्व बच्चे को इनकी भाषा में पुकारू शब्द से सम्बोधित किया जाता है बच्चे का नामकरण घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा ही होता है।

2.सुन्नत या ख़तना संस्कार-इस संस्कार के अन्तर्गत गुजर समुदाय के बालकों का जिनकी उम्र 2 वर्ष तक ही हो खतना संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे के शिश्न के आगे की ऊपरी त्वचा का थोड़ा सा भाग काट दिया जाता है। इस त्वचा को मुसलमान नाई द्वारा काटा जाता है जिसको कि आमन्त्रित किया जाता है। खतना संस्कार को धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे के घाव में दवाई लगाई जाती है जो कि 10-15 दिनों में ठीक हो जाता है इस संस्कार में रिश्तेदारों को बुलाकर एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। खतना करने वाले नाई को आज के समयानुसार कम से कम 100 रूपये देते हैं तथा अपने समुदाय के मध्य बड़े भोजन का आयोजन करते हैं।

3.विवाह संस्कार-इनमें मुख्यत: मुस्लिम धर्म के होने के कारण ये लोग विवाह भी अपने धर्म में करते हैं इसके साथ ही साथ ये लोग विवाह अपने गोत्र में नहीं करते हैं चाहे वह इनसे कितनी ही दूरी पर क्यों न हो अन्य समाजों की तरह इनके समाज में भी बहुत प्रकार के विवाह होते हैं जैसे कि-क्रय विवाह, विनिमय विवाह, विधवा विवाह आदि।

4.मृतक संस्कार-ये लोग मुख्यतया मुस्लिम होने के कारण उसी विधि से मृतक को दफ़नाते हैं तथा यह कार्य कब्रिस्तान में कब्र खोदकर सम्पूर्ण किया जाता है। मृतक के साथ मृतक के रिश्तेदार से लेकर बगल पड़ोसी (समुदाय) एवं मौलवी जाते हैं। मौलवी मृतक हेतु फतीहा पढ़ता है। मृतक के सात दिन के होने के पश्चात् सांतवा देते हैं। इसमें अपनी आर्थिक स्थित्यानुसार खाना-पुलाव, बकरा, रोटी आदि देते हैं। तत्पश्चात 35-40 दिन के बीच के दिन जाता है। इस पूरे मृतक संस्कार को गुजर भाषा में दरूद भी कहते हैं। किसी कारणवश समय पर यह आयोजन न हो पाने के कारण ग्यारहवें वर्ष के बाद में दस्तवद समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें समुदाय के व्यक्ति से लेकर मौलवी एवं सम्मानित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आमन्त्रित किया जाता है। मृतक को दफनाने वाले स्थल (कब्रिस्तान) में ले जाने से पूर्व नहलाते हैं एवं उस व्यक्ति पर खुशबू या इत्र छिड़का जाता है। कब्रिस्तान में दफ़नाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात मौलवी कुछ देर हेतु कब्रिस्तान में रुक सकता है तथा कलमा भी पढ़ा जाता है।

धर्म-इनकी धार्मिक पुस्तकें निम्नलिखित हैं-

1. दास्तान-ए-यूसूफ़
2. मेहराज-ए-रसूल
3. सब्र-ए-अय्यूब
4. क़ुरान
5. गुलजार-ए-एब्राहिम

घर-इनका घर घास, मिट्टी व लकड़ी का बना होता है। जिसे ये लोग डेरा कहते हैं। झोपड़ी में लकड़ी व पत्ती जंगली पेड़ों से लाकर बनायी जाती है। झोपड़ी में दो दरवाजे होते हैं, आगे का दरवाजा प्राय: खुला रहता है जिस पर ये अक्सर पर्दा डालकर रखते हैं। सोने की जगह को ये लोग टवाण कहते हैं। अपने डेरों के अन्दर ये कलाकृतियां भी बनाते हैं। डेरो के अन्दर नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह बनायी जाती है।[4,5]

त्यौहार-

1.रोज़े-रोजे के समय ये लोग एक महीने तक सुबह 4 बजे भोजन करते हैं। शाम को ये लोग नमाज़ पढ़कर ही रोज़े खोलतें हैं।

2.ईद-

(अ) मीठी ईद-इस दिन ये लोग खीर व सेंवई का भोजन करते हैं

(ब) बक़रा ईद-इस दिन हलाल का बकरा काटकर खाते हैं। तथा आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं।[3]

राजनीतिक स्थिति-गुजर समाज में राजनीतिक स्थिति देशकाल परिस्थिति के अनुसार ऊपर नीचे बदलती रहती है। जैसे परम्परागत रूप से जवाहर लाल नेहरू द्वारा इन्हें यहाँ बसाये जाने के कारण ये कांग्रेस पार्टी के पक्षधर अधिक रहे और इन्होंने समय-समय पर इनके पक्ष में मतदान भी किया है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ इन्होंने कांग्रेस, उत्तराखण्ड क्रान्तिदल पार्टी के पक्ष में भी मतदान किया। इससे यह देखा गया कि क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव इन पर रहा है।

उत्तराधिकारी-इस समाज में किसी भी कार्य में निर्णय लेने का अधिकार पिता अथवा जेष्ठ पुत्र को होता है। लेकिन पिता अथवा जेष्ठ पुत्र की मृत्यु होने पश्चात उनकी विधवा पत्नी को उसी शर्त पर दिया जाता है। जब उसने पुनर्विवाह न किया हो सम्पत्ति का अधिकार सभी पुत्रों में बराबर होता है।

महिलाओं की स्थिति-इस समाज महिलाओं की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृति में जीवन यापन करने के कारण इनका संघर्ष काफी है। इनकी महिलायें अपनी पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करती है। अगर कभी तलाक़ हो जाय तो वर पक्षों को सारा सामान वापस करना पड़ता है। पुरुषों के अनुसार महिलायें भी एक से अधिक विवाह कर सकती है।

भाषा-गुजरी भाषा का तालमेल कश्मीरी,पंजाबी, डोगरी, व हिमाचली भाषा से मिलता जुलता है। कहीं-कहीं पर स्थानीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते देखे गये हैं।

सन्दर्भ

1. एटकिन्सन 188 गज़ेटियर ऑफ एन0 डब्ल्यू प्रोविन्स: हिमालय डिस्ट्रिक्ट।
2. नित्यानन्द स्वामी व कमलेश कुमार, 1989 "द होली हिमालयन"
3. वन संरक्षण विभाग के अधिकारियों से वार्ता पर आधारित
4. क्षेत्र भ्रमण एवं शोध अध्ययन (स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये), 2003-04।
5. आमीर हसन (ट्राइब्स और ट्रमयोल)